Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 4040 / 2003 / टोंक

सुवालेहीन पुत्र कल्लू खां जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला बहीर टोंक तहसील व जिला टोंक

....अपीलांट

बनाम

1. मोला पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी मोहल्ला बहीर टोंक तहसील व जिला टोंक
2. रामस्वरूप पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी मारखेडा तहसील पीपलू जिला टोंक
3. नानगराम पुत्र रघुनाथ जाति बैरवा निवासी मारखेडा तहसील पीपलू जिला टोंक

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित–
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट
रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक 22.3.2018

निर्णय

यह द्वितीय अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–2–2003 के विरूद्ध

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी ने सहायक कलक्टर मु0टोंक के न्यायालय में एक वाद विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर आराजी खसरा नंबर 329 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा एवं 330 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम मारखेडा तहसील पीपलू का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं उक्त आराजी प्रतिवादी मोला के खाते से खारिज कर जमाबंदी में वादी की खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22–4–2000 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया तथा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22–4–2000 के विरूद्ध अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–2–2003 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3. अपीलांट पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

4. अपीलांट/वादी वादग्रस्त आराजी पर अपने मुखालफाना कब्जे के आधार पर वाद लेकर आ रहा है एवं वह अपनी अपील में भी यह मानकर आ रह है कि बतौर ट्रेसपासर उसका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है। जहां तक ट्रेसपासर का सवाल है, तो कानूनन ट्रेसपासर को कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि अनुसूचित जाति/जनजाति की जमीन पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। एक स्थिति यह भी है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा बताकर आ रहा है लेकिन कब्जे के संबंध में उसने कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं, उनके विरूद्ध केवलमात्र प्रतिकूल कब्जे के अभिवचन के आधार पर किसी प्रकार की रिलीफ दिया जाना न्यायसंगत नहीं

है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों निर्णय समवर्ती हैं, जिनमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

5. अतः यह अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–2–2003 एवं सहायक कलक्टर मु0 टोंक का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–4–2000 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य